फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

सायलान :- अलफू पुत्र अणदा **बनाम** गैर सायलान :- सायर पुत्र अणदा वगैरह

केस्म मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र मु.नं. /सन 2018

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

018 वकील सायल उपस्थित।

वकील सायल ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र विरुद्ध गै0सा0 अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सायल व गै.सा. सं. की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा टूंकड़ा पटवार हल्का टूंकड़ा तहसील जैतारण मे ख.नं. 59 रकबा 8–10 बीघा, ख.नं. 72 रकबा 2–03 बीघा, ख.नं. 59/1 रकबा 3–06 बीघा, ख.नं. 72/1 रकबा 7–07 बीघा भूमि आयी हुई हैं। सायल ने अपने खसरा नम्बर 59 रकबा 8–10 बीघा, ख.नं. 72 रकबा 2–03 बीघा, एवं गै.सा.सं. 01 के ख.नं. 59/1 रकबा 3–06 बीघा, ख.नं. 72/1 रकबा 7–07 बीघा भूमि का बंटवाड़ा करवा रखा हैं तथा सायल आपने हिस्से में आयी हुई कृषि भूमि पर निरन्तर शान्ति पूर्ण काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा हैं। सायल के पक्ष में एवं विरूद्ध गै.सा. सं. 01 के आदेश फरमावे कि जब तक तहसीलदार साहब जैतारण द्वारा नियुक्त पटवारी द्वारा विवदित आराजी की पेमाईस कर पत्थरगढ़ी नही की जाती तब तक न तो गै.सा.सं. 01 स्वंय न ही इसके हाली एजेन्ट नौकर चाकर मजदूर इत्यादि सायल के कब्जा काश्त में दखलदांजी नही करें एवं गै.सा.सं. 01 सायल की माठ को बिखैर कर की गई समतल जमीन को अजनबी क्रेता को बेचान नही करे राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गैरसायल सं. 01 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाकर पाबंन्द किये जाने की ईस्तदुआं की हैं। इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। बहस वकील सायल बाबत् अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में हस्ब प्रार्थना पत्र आज्ञा पारित किये जाने की ईश्तदुआं की हैं। 1018 २३.10.18

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा वकील सायल पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रार्थी की भूमि में जवाब पेश होने तक रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गै. सा. को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक सायल विरुद्ध गै0 सा0 इस आशय की जारी की जाती हैं कि सायल की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा टूंकड़ा पटवार हल्का टूंकड़ा तहसील जैतारण मे ख.नं. 59 रकबा 8–10 बीघा, ख.नं. 72 रकबा 2–03 बीघा भूमि आयी हुई हैं। उक्त विवादित आराजी में प्रार्थी की भूमि में जवाब पेश होने तक रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गै. सा. को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं। वकील सायल तलबाना / नोटिसेज रजि. ए.डी. के तीन दिवस में पेश करें। तलबाना पेश होने पर गै0 सा0 को रजि. ए.डी. के जरिये नोटिसेज हो कि वह वजह जाहिर करें कि क्यों नहीं उक्त आदेश को वाद निर्णय तक पुख्ता किया जावें। पत्रावली आयन्दा दिनांक 20.12.2018 वास्ते जबाब प्रा0प0 पेश हो।

SDO

20/12/18 पत्रावली पेश हुई [illegible] S.D.O. [illegible], दिगर कार्य में [illegible] वकीलों द्वारा कोर्ट कार्य [illegible] से पत्रावली आयन्दा दिनां. 24-1-2019 को पेश हों।

24/1/19 वकील मय सायल द्वारा मूल वाद के वाद विड्रोल स्वीकार करने का पेश करने से पत्रावली आज पेश हुई।

सायल का मूल वाद जरिये विड्रोल स्वीकार है हुक्म हो।

मूल वाद जरिये विड्रोल स्वीकार होने से अब इस प्रार्थना पत्र में कोई

अ०नि० अलफु

L.T.I.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर अहका[m] हुक्म जारी
	कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती अर्थात प्रभावहीन होने से मामला का प्रार्थना खारिज किया जाता है। पत्रावली कौशल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामील जाब्ता दाखिल दफ्तर होवे। आज्ञा जारी हो। [signature] SDO	